छात्रवृत्तियाँ - शिष्यवृत्तियाँ

1. छत्तीसढ़ शासन तथा भातर सरकार की ओर से नियमित छात्राओं को पात्रतानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्राएं अपने आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करें। आवेदन पत्र कार्यालय/वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम तिथि के संबंध में महाविद्यालय के सूचना फलक में सूचित किया जाता है। छात्राएं एक से अधिक छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकती है, परन्तु छात्रवृत्ति के नियमानुसार उन्हें केवल एक ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।
2. आवेदन पत्र लेकर उसे समय पर कार्यालय में छात्रा स्वयं अपनी जिम्मेदारी से जमा करें। विलम्ब से प्राप्त या अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। इसके लिए महाविद्यालय की जवाबदारी नहीं होगी।
3. पात्रता होने पर भी यदि कोई छात्रा उपरोक्त सुविधाओं के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करती हैं, तो इनसे वंचित रह जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्रा की होगी।
4. छात्रवृत्ति / शिष्यवृत्ति की सूचना छात्राओं के लिए महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी जिसे देखकर छात्रा स्वयं कार्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त करें।
5. योग्य निर्धन छात्राओं को वित्तीय सहायता व शुल्क में छूट छात्रा सहायता निधि से प्रदान की जाती है।
6. इसके अलावा निर्धन छात्राओं की योग्यता के आधार पर पाठ्य पुस्तक वितरित करने का कार्य महाविद्यालय में बुक बैंक के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त पाठ्य पुस्तक सत्र के अंत में महाविद्यालय में वापस जमा करना होगा।

विशेष सूचना :- छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति एवं वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही जमा करें। यह आवेदन पत्र महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने पर, कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ महाविद्यालयीन शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति का विवरण

छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति का नाम	अवधि	वार्षिक दर	योग्यता आधार	अधिकतम वार्षिक आय
1.केन्द्रीय छात्रवृत्ति स्कीम (स्नातक स्तर)	30 माह	1000.00 मासिक	हायर सेकेण्ड्री 80%	6,00,000
2.स्नातक (उपाधि) छात्रवृत्ति	30 माह	150.00 मासिक	60%	आय में बंधन नहीं
3.स्नातक (उपाधि) शिष्यवृत्ति	30 माह	150.00 मासिक	55%	अधिकतम आय 24,000
4.स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति	20 माह	250.00 मासिक	55%	आय में बंधन नहीं
5.स्नातकोत्तर योग्यता शिष्यवृत्ति	20 माह	250.00 मासिक	55%	अधिकतम वाषिक आय 24,000
6.खेलकूद छात्रवृत्ति	10 माह	150.00 मासिक		

योग्यता का आधार :- यह छात्रवृत्ति उन छात्राओं के लिए हैं, जो छत्तीसगढ़ की स्कूल टीम में राष्ट्रीय खेल दल में रही हों, या जो प्रदेश की वयस्क टीम में हो या प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पहले तीन स्थानों में से किसी पर रही हों।

छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों के संबंध में विशेष जानकारी

1. छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों का विस्तृत विवरण छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका में देंखे जो कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है। छात्राएँ उसे पूरा पढ़ें व तदनुसार आवेदन समयावधि में कार्यालय में जमा करें।
2. उपरोक्त नियमों, पात्रता, आधार संबंधी शर्तो, वार्षिक दर आदि में शासन के निर्णयानुसार कभी भी परिवर्तन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जावेगा जिसे देखने का दायित्व स्वयं छात्रा का होगा।
3. महाविद्यालय के सूचना फलक पर घोषित अंतिम तिथि के भीतर आवेदन पत्र नहीं देने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा।
4. छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति संबंधी सूचनाएँ समय-समय पर नोटिस बोर्ड पर देखना छात्रा का स्वयं का दायित्व है।
5. अपूर्ण या गलत अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
6. उपरोक्त जानकारी नवीन छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के लिए है।
7. प्रत्येक छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति नवीनीकरण हेतु छात्रा को कार्यालय से प्रपत्र लेकर जुलाई माह में आवेदन करना होगा। नवीनीकरण का आधार पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण होना है।
8. छात्राा को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रति वर्ष महाविद्यालयीन सूचना के अनुसार अनिवार्य रुप से जमा करना होगा अन्यथा चालू वर्ष में छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलना बंद हो जायेगी, जिसका दायित्व पूरी तरह छात्रा का ही है।
9. सेन्ट्रल बोर्ड की बारहवीं परीक्षा पास छात्रा के लिए नवीन छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति हेतु पात्रता का आधार बारहवीं परीक्षा के अंक होंगे।
10. आय संबंधी योग्यता तथा अन्य आधारों में कभी भी शासन द्वारा संशोधन संभव है, अतः छात्राएँ कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर प्रतिदिन सूचनाएँ देखें और तदनुसार आवेदन पत्र समयावधि में जमा करें।
11. गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपराध है। इस पर शासन द्वारा किसी भी समय जांच की जा सकती है।
12. शासन के नियमानुसार जिन छात्राओं को छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के नियमानुसार उनकी नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार यदि कक्षाओं में उनकी उपस्थिति 75% से कम रहे तथा परीक्षाओं में बैठने की पात्रता विश्वविद्यालयीन नियम के अंतर्गत भले ही हो लेकिन शासकीय नियमों के अंतर्गत उनकी छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति आनुपातिक रुप से काट ली जायेगी।

ऑनलाइन छात्रवृत्ति साफ्टवेयर में एंट्री के लिए दिशानिर्देश पात्रता एवं शर्ते

Eligibility Criteria for Central Sector Scholarship Scheme 2016

1. छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 12 वीं की परीक्षा में विद्यार्थी को विज्ञान/गणित/वाणिज्य/मानविकी संकाय में न्युनतम 80 Percentile होना अनिवार्य है।
2. विद्यार्थी द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में बिना अंतराल के प्रवेश लेना अनिवार्य है।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक साथ दो छात्रवृत्ति पाने की पात्रता नहीं होगी। ऐसा पाए जाने पर विद्यार्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
4. विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावक की कुल वार्षिक आय रु. 6 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
5. विद्यार्थी को छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 12 वीं बोर्ड की नियमित परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
6. विद्यार्थी का स्वयं के नाम पर किसी भी राष्ट्रीय बैंक में खाता होना अनिवार्य है तथा बैंक द्वारा जारी किया गया पिन कोड की जानकारी विद्यार्थी को होना अनिवार्य है।
7. विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन भरते समय बैंक पास बुक अपने साथ रखें।
8. विद्यार्थी IFSC कोड जानने के लिये www.ifsccodebank.com का प्रयोग कर सकते हैं।
9. छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी का खाता संयुक्त (Joint Account) नहीं होना चाहिये।
10. किसी कोचिंग संस्थान से डिप्लोमा कर रहे विद्यार्थी इन छात्रवृत्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। केवल डिग्री कोर्स करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे।
11. केवल वर्तमान परीक्षा वर्ष में उत्तीर्ण हुये नियुमित विद्यार्थी ही इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के पात्र होंगे।
12. विद्यार्थी की आयु 18-25 वर्ष होना अनिवार्य है। आयु का निर्धारण 01.07.2018 से किया जावे।
13. विज्ञान/गणित/वाणिज्य समूह के अलावा अन्य विद्यार्थी को मानविकी (Humanity) पाठ्यक्रम समूह के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
14. आवेदन पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थी द्वारा चयनित संभागीय कार्यालय में आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों की जांच (Verification) के बिना आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिये विद्यार्थी को सूचित नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र के साथ आवश्यक संलग्न दस्तावेज

1. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा की अंकसूची सत्यापित छायाप्रति।
2. आय शपथ पत्र (परिशिष्ट-3) परिशिष्ट 3 का प्रारुप डाउनलोड करें।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांगता प्रमाण पत्र जो लागू हो कि सत्यापित प्रति।
4. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-2) प्राचार्य से प्रमाणित (हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित) परिशिष्ट-2 का प्रारुप डाउनलोड करें।
5. जन्मतिथि प्रमाणीकरण हेतु हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रतिं

नोट :- आवेदन पत्र भरने से पूर्व विद्यार्थी सभी दस्तावेजों की स्कैन (Scanned) प्रति अपने साथ आवश्यक रुप से रखें।

आवेदन पत्र भरने में कठिनाई होने पर फोन नं. 7566363636 पर संपर्क कर सकते हैं।

छात्रवृत्ति पोर्टल का उपयोग करते समय आवेदक के लिये सामान्य सहायता।

1. नवीन छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिये आवेदक यहां क्लिक करें।

छात्रावास

1. महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु चार छात्रावास की सुविधा है। विस्तृत जानकारी हेतु छात्रावास विवरणिका देखें।

ऑनलाइन भरे जाने वाले फॉर्म

क्रमांक	ऑनलाइन भरे जाने वाले फार्म	वेबसाइट
1	पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन फार्म	www.mpsc.mp.nic.in/cgpms
2	अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आवेदन फार्म	www.momascholarship.gov.in
3	केंद्रीय छात्रवृत्ति आवेदन फार्म	www.cgbse.net
4	विश्वविद्यालय नामांकन आवेदन फार्म	www.myexaminfo.com, www.prsu.ac.in